

Pollution Level of Solid Waste Plant

***28 Sh. GHANSHYAM SARAF, M.L.A.** Will the Environment, Forest & Wildlife Minister be pleased to state:-

- a) Whether it is fact that a solid waste plant is situated at Dadri road in Bhiwani city and its pollution level is not more than the prescribed limit and is safe for the nearby population of urban area;
- b) Whether any inspection of the plant has been conducted by the Government to check if the pollution level of above said plant is appropriate for the nearby colonies as per the NOC issued by pollution department: and
- c) if so, the details thereof?

SH. KANWAR PAL, ENVIRONMENT, FOREST & WILDLIFE MINISTER

Reply:-

- a) Yes, Sir. There is a solid waste management plant operated by Municipal Council, Bhiwani on Dadri road in Bhiwani City. As per test reports of ground water samples collected near the area, the pollution levels are within prescribed limits. Haryana State Pollution Control Board monitors ambient air quality at Bhiwani through a Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) installed at H.B. Colony Bhiwani and as per the data generated from January 2023 to July 2023 most of time ambient air quality is in moderate or better range.
- b) & c) Yes, Sir. Four ground water samples from the area were collected on 18.08.2023 and the pollution levels observed were within norms. The Municipal Council, Bhiwani has been issued a notice to obtain consent and authorization under environmental laws.

Note for Pad

Starred assembly question no *28 asked by Sh. GHANSHYAM SARAF, M.L.A. regarding

‘Pollution Level of Solid Waste Plant’

- a) Whether it is fact that a solid waste plant is situated at Dadri road in Bhiwani city and its pollution level is not more than the prescribed limit and is safe for the nearby population of urban area;
- b) Whether any inspection of the plant has been conducted by the Government to check if the pollution level of above said plant is appropriate for the nearby colonies as per the NOC issued by pollution department: and
- c) if so, the details thereof?

Reply:

- a) Yes, Sir. There is a solid waste management plant operated by Municipal Council, Bhiwani on Dadri road in Bhiwani City. As per test reports of ground water samples collected near the area, the pollution levels are within prescribed limits. Haryana State Pollution Control Board monitors ambient air quality at Bhiwani through a Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) installed at H.B. Colony Bhiwani and as per the data generated from January 2023 to July 2023 (Annexure-I) most of time ambient air quality is in moderate or better range.
- b) & c) Yes, Sir. Four ground water samples from the area were collected on 18.08.2023 and the pollution levels observed were within norms. The Municipal Council, Bhiwani has been issued a notice to obtain consent and authorization under environmental laws.

The relevant details as per SWM Rules 2016 and environmental laws

Ministry of Environment, Forest and Climate Change notified the Solid Waste Management Rules, 2016 on 08.04.2016 for management of solid waste.

- As per rule 11 of the said rules, Urban Local Bodies Department in the state is to ensure identification and allocation of suitable land for setting up of processing and disposal facilities for solid wastes.
- As per rule 15 of the said rules, local bodies have to facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or with private sector participation or through any agency for optimum utilization of various components of solid waste adopting suitable technology. Local bodies have to

make an application for grant of authorization for setting up waste processing, treatment or disposal facility, if the volume of waste is exceeding five metric tonnes per day including sanitary landfills from the State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee.

- As per rule 16 of the said rules, the State Pollution Control Board must examine the application for authorization and the requirement of consents under respective enactments, received from the local body or any other agency authorized by the local body. They may issue authorization to the local body or an operator of a facility or any other agency authorized by local body stipulating compliance criteria and environmental standards as specified in Schedules I and II of said rules and also synchronize the validity of the said authorization with the validity of the consents.

Details pertaining to HSPCB

- On the directions of the Central Pollution Control Board, HSPCB has issued categorization of industrial sector/projects vide order endst. 04.12.2020 (as amended). Solid Waste Treatment and Disposal Facilities are covered under the red category of consent management. Such facilities are required to obtain consent to establish and consent to operate from the HSPCB under provisions of the Water (Prevention and Control of Water Pollution) 1974 and the Air (Prevention and Control of Air Pollution) 1981. Such facilities are also required to obtain authorization from the HSPCB under provisions of the SWM Rules, 2016 (as amended).
- The Municipal Council, Bhiwani has neither applied for obtaining consent nor applied for authorization to the HSPCB for their plant at Dadri road. The Municipal Council, Bhiwani has been issued a notice to obtain consent and authorization under the environmental laws vide SCN dated 29.03.2023 and 16.08.2023.
- Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) has conducted inspection of above said plant on 18.08.2023 to check the pollution level of the above said plant. During inspection, four water samples from area were collected. As per test reports of water samples collected near area, the pollution levels are found to be within prescribed limits. The directions have been issued to Regional Officer to conduct ambient air sampling of the surrounding of the site.

- The distance for sanitary landfill site has been notified in Schedule-I of the Solid Waste Rules, 2016 (as amended) as 200 meters from habitation. Urban Local Bodies Department Haryana has reported that the said plant is situated at approximately 03 kilometers from nearby habitation and approximately 05 kilometers from the city/town and this may be treated as safe for nearby population.

Details received from the Urban Local Bodies Department

There is one solid waste management plant in Bhiwani city on Dadri road operated by the Municipal Council, Bhiwani. They have allotted work of the above said site to an agency, namely Shree Shyam Waste Management. They have also applied for environmental clearance for ‘MRF and composting plant’ of 100 TPD capacity.

The details of solid waste management in Bhiwani city are given as under:-

Total quantity solid waste generated (TPD)	Total quantity waste processed (TPD)	Quantity of waste recycled (TPD)	Quantity of waste treated (TPD)	Quantity of waste disposed into landfill (TPD)	Total gap (if any) in management of solid waste (TPD)	Arrangement made to meet the gap in solid waste
107	96	20	96	16.05	11	The agency Shree Shyam Waste Management started work

Distance from nearest habitation	Distance from city/town	Distance from water body
3km appox	5 KM appox	7-8 KM appox

The details of solid waste management in State of Haryana are given as under:-

There are 88 numbers of local bodies responsible for management of solid waste in the state. The quantity of total solid waste generated is 5629 TPD and quantity of waste treated is 3961 TPD. The 88 local bodies of Haryana have been divided in 13 integrated solid waste management clusters (list enclosed as Annexure-II). Out of these 13 clusters, 2 clusters, namely Sonipat-Panipat cluster and Karnal-Kaithal-Thanesar cluster, have obtained consent to establish (CTE) from the Board and only 1 cluster for Sonipat-Panipat have obtained consent to operate (CTO) from the Board. No cluster has obtained authorization under the Solid Waste Management Rules, 2016. Show cause notices have already been issued to all these local bodies.

Annexure-I

Haryana State Pollution Control Board									
Continuous Ambient Air Quality Monitoring Report									
Monitoring Agency :		ENVIRONNEMENT SA INDIA PVT LTD							
Month & Year :		January 2023 to August 2023							
Name of Station & City :		Bhiwani							
Day	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June	July	Aug	
1	103	89	83	195	187	57	57	43	
2	109	99	123	156	236	48	69	44	
3	292	101	113	108	107	61	70	86	
4	261	111	115	75	89	72	53	65	
5	301	114	93	NA	142	85	70	82	
6	148	112	115	89	111	93	66	54	
7	158	125	145	84	94	331	59	74	
8	176	90	120	111	148	90	59	88	
9	180	113	154	93	155	NA	64	93	
10	238	100	146	117	178	99	47	99	
11	142	117	151	157	155	104	52	101	
12	289	105	211	121	171	147	85	63	
13	253	85	182	140	255	155	71	53	
14	159	90	190	147	178	159	54	NA	
15	108	109	161	192	112	118	50	50	
16	120	127	194	146	241	119	52	46	
17	165	190	102	121	284	94	48	95	
18	183	270	116	153	112	127	NA	110	
19	222	228	149	178	152	100	64	102	
20	87	235	143	136	79	85	55	80	
21	139	116	112	127	111	102	64		
22	150	164	95	113	NA	115	68		
23	170	113	89	81	119	136	59		
24	155	119	134	118	88	147	56		
25	116	120	156	102	65	191	61		
26	158	150	102	177	76	250	60		
27	129	118	88	146	69	224	64		
28	112	107	89	100	65	167	NA		
29	233		131	97	60	NA	NA		
30	55		112	128	54	61	45		
31	98		84		62		35		
Average	168.032	129.18	128.96774	127.8621	131.833	126.32143	59.17857	75.1579	
AQI Range		0-50	51-100	101-200	201-300	301-400	401-500		
Remarks		Good	Satisfactory	Moderate	Poor	Very Poor	Severe		

Annexure-II

Sr.No.	Name of Cluster	ULBs Covered Under Cluster	Waste Capacity (in TPD)
1.	Sonipat-Panipat	Gannaur, Samalkha, Panipat&Sonepat	700
2.	Faridabad-Gurugram	Faridabad &Gurugram	2300
3.	Bhiwani	Bhiwani, Bawanikhera, CharkhiDadri, Loharu, Badhra	155
4.	Sirsa	Sirsa, Rania, Ellenabad, Kalanwali, MandiDabwali	168
5.	Ambala-Yamunanagar	Ambala, Naraingarh, Yamuna Nagar, Radaur, Barara, Sadhura	675
6.	Karnal-Kaithal-Kurukshetra	Indri, NilokheriTarori, KarnalGharaunda, Nissing, Assandh, Thanesar, Shahbad, Ladwa, Kaithal, Kalayat ,Rajound,	638
7.	Rohtak-Bahadurgarh-Jhajjar	Kalanaur, Meham, Rohtak, Gohana, Bahadurgarh, Kharkhoda, Julana, Jhajjar,	628
8.	Panchkula	Panchkula, Kalka	280
9.	Hisar-Fatehabad	Hisar, Barwala, Hansi, Siwani, Fatehabad, Bhuna, Uklana Mandi, Ratia,Tohana, Jhakal	432
10.	Jind	Jind, Narwana, Safidon, Uchana, Narnaund,	181
11.	Rewari	Bawal, Dharuhera, Rewari, Mahendergarh,	407
12.	Punhana	Punhana, F/Jhirka, Hathin, Hodal, Palwal,	466
13.	Farukhnagar	Farukh Nagar, Haily Mandi, Pataudi	26

ठोस कचरा संयंत्र का प्रदूषण स्तर

*28 श्री –घनश्याम सर्राफ, भिवानी

क्या पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री कृप्या बताएं कि:-

क) क्या यह तथ्य है कि भिवानी शहर में दादरी सड़क पर एक ठोस कचरा संयंत्र स्थित है तथा इसका प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है और शहरी क्षेत्र की निकटवर्ती आबादी के लिए सुरक्षित है;

ख) क्या सरकार द्वारा यह जांचने के लिए संयंत्र का कोई निरीक्षण किया गया है कि प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त संयंत्र का प्रदूषण स्तर आसपास की कॉलोनियों के लिए उपयुक्त है तथा

ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री कंवर पाल, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री

जवाब:-

क) हाँ, श्रीमान जी, भिवानी शहर में दादरी रोड पर नगर परिषद भिवानी द्वारा संचालित एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र है। क्षेत्र के पास से एकत्र किए गए भूजल के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एच.बी. कॉलोनी भिवानी में स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) के माध्यम से भिवानी में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक उत्पन्न आंकड़ों के अनुसार अधिकांश समय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मध्यम या बेहतर श्रेणी में है।

ख) और ग) हाँ, श्रीमान जी। क्षेत्र से भूजल के चार नमूने 18.08.2023 को एकत्र किये गए थे और प्रदूषण स्तर मानदंडों के भीतर पाया गया था। नगर परिषद, भिवानी को पर्यावरण कानूनों के तहत सहमति और प्राधिकार प्राप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है।

पैड के लिए नोट

श्री घनश्याम सर्राफ, विधायक द्वारा पूछा गया तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक *28 – 'ठोस कचरा संयंत्र के प्रदूषण स्तर' के संबंध में

क्या पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव मंत्री कृप्या बताएं कि:-

क) क्या यह तथ्य है कि भिवानी शहर में दादरी सड़क पेरे एक ठोस कचरा संयंत्र स्थित है तथा इसका प्रदूषण स्तर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है और शहरी क्षेत्र की निकटवर्ती आबादी के लिए सुरक्षित है;

ख) क्या सरकार द्वारा यह जांचने के लिए संयंत्र का कोई निरीक्षण किया गया है कि प्रदूषण विभाग द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र के अनुसार उपरोक्त संयंत्र का प्रदूषण स्तर आसपास की कॉलोनियों के लिए उपयुक्त है तथा

ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्री कंवर पाल, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री

जवाब:-

क) हाँ, श्रीमान जी, भिवानी शहर में दादरी रोड पर नगर परिषद भिवानी द्वारा संचालित एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र है। क्षेत्र के पास से एकत्र किए गए भूजल के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा एच.बी. कॉलोनी भिवानी में स्थापित सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन (सीएएक्यूएमएस) के माध्यम से भिवानी में परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है और जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक उत्पन्न आंकड़ों (अनुलग्नक-1) के अनुसार अधिकांश समय परिवेशीय वायु गुणवत्ता मध्यम या बेहतर श्रेणी में है।

ख) और ग) हॉ, श्रीमान जी। क्षेत्र से भूजल के चार नमूने 18.08.2023 को एकत्र किये गए थे और प्रदूषण स्तर मानदंडों के भीतर पाया गया था। नगर परिषद, भिवानी को पर्यावरण कानूनों के तहत सहमति और प्राधिकार प्राप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और पर्यावरण कानूनों के अनुसार प्रासंगिक विवरण

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए 08.04.2016 को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को अधिसूचित किया।
- उक्त नियमों के नियम 11 के अनुसार, राज्य में शहरी स्थानीय निकाय विभाग को ठोस अपशिष्टों के लिए प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन सुनिश्चित करना है।
- उक्त नियमों के नियम 15 के अनुसार, स्थानीय निकायों को स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी से या किसी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा प्रदान करनी होगी। उक्त नियमों के नियम 15 के अनुसार, स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण, संचालन और रखरखाव की सुविधा स्वयं या निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ या किसी एजेंसी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट अपनाने के विभिन्न घटकों के इष्टतम उपयोग की सुविधा उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाकर प्रदान करनी होगी। यदि कचरे की मात्रा सैनिटरी लैंडफिल सहित प्रति दिन पांच मीट्रिक टन से अधिक है, तो स्थानीय निकायों को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से अपशिष्ट प्रसंस्करण, उपचार या निपटान सुविधा स्थापित करने के लिए प्राधिकार प्रदान करने के लिए आवेदन करना होगा।
- उक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्थानीय निकाय या स्थानीय निकाय द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी प्राप्त प्राधिकार के लिए आवेदन और संबंधित अधिनियमों के तहत सहमति की आवश्यक रूप से जांच करनी चाहिए। प्राधिकरण स्थानीय निकाय या किसी सुविधा के संचालक या स्थानीय निकाय द्वारा

अधिकृत किसी अन्य एजेंसी को उक्त नियमों की अनुसूची I और II में निर्दिष्ट अनुपालन मानदंड और पर्यावरण मानकों को निर्धारित करने के लिए जारी किया जा सकता है और उक्त प्राधिकार की वैधता को सहमति की वैधता के साथ सिंक्रनाइज किया जा सकता है।

एचएसपीसीबी से संबंधित विवरण

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आदेश परांकन 04.12.2020 (संशोधित) के तहत औद्योगिक क्षेत्र/परियोजनाओं का वर्गीकरण जारी किया है। | ठोस अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाएं सहमति प्रबंधन की लाल श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ऐसी सुविधाओं को जल (जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) 1974 और वायु (वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) 1981 के प्रावधानों के तहत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने के लिए सहमति और संचालन के लिए सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसी सुविधाओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (संशोधित) के प्रावधानों के तहत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकरण प्राप्त करना भी आवश्यक है।
- नगर परिषद, भिवानी ने दादरी रोड पर अपने संयंत्र के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को न तो सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है और न ही प्राधिकरण के लिए आवेदन किया है। नगर परिषद, भिवानी को कारण बताओ नोटिस दिनांक 29.03.2023 और 16.08.2023 के माध्यम से पर्यावरण कानूनों के तहत सहमति और प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया है।
- हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उपरोक्त संयंत्र के प्रदूषण स्तर की जांच के लिए 18.08.2023 को उपरोक्त संयंत्र का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्र से पानी के चार नमूने एकत्र किये गए। क्षेत्र के पास से एकत्र किए गए पानी के नमूनों की परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी को क्षेत्र के आसपास परिवेशीय वायु का नमूना लेने के निर्देश जारी किए गए हैं।

- स्वच्छता लैंडफिल साइट की दूरी को ठोस अपशिष्ट नियम, 2016 (संशोधित) की अनुसूची-I में बस्ती से 200 मीटर के रूप में अधिसूचित किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा ने बताया है कि उक्त संयंत्र आस-पास की आबादी से लगभग 03 किलोमीटर और शहर/कस्बे से लगभग 05 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसे आसपास की आबादी के लिए सुरक्षित माना जा सकता है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग से विवरण प्राप्त हुआ

भिवानी शहर में दादरी रोड पर नगर परिषद, भिवानी द्वारा संचालित एक ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र है। उन्होंने उक्त स्थल का कार्य श्री श्याम वेस्ट मैनेजमेंट नाम की एक एजेंसी को आवंटित कर दिया है। उन्होंने 100 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता के 'एमआरएफ और कंपोस्टिंग प्लांट' के लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए भी आवेदन किया है।

उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की कुल मात्रा (टीपीडी)	संसाधित अपशिष्ट की कुल मात्रा (टीपीडी)	पुनर्चक्रित अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी)	उपचारित अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी)	लैंडफिल में निपटाए गए अपशिष्ट की मात्रा (टीपीडी)	ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में कुल अंतर (यदि कोई हो) टीपीडी)	ठोस कचरे के अंतर को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई
107	96	20	96	16.05	11	एजेंसी श्री श्याम वेस्ट मैनेजमेंट ने काम शुरू किया

निकटतम निवास स्थान से दूरी	शहर/कस्बे से दूरी	जल निकाय से दूरी
3 किमी लगभग	5 किमी लगभग	7-8 किमी लगभग

हरियाणा राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण निम्नानुसार दिया गया है: -

राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जिम्मेदार स्थानीय निकायों की संख्या 88 है। कुल उत्पन्न ठोस अपशिष्ट की मात्रा 5629 टन प्रतिदिन और उपचारित अपशिष्ट की मात्रा 3961

टन प्रतिदिन है। हरियाणा के 88 स्थानीय निकायों को 13 एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समूहों (सूची अनुलग्नक- II के रूप में संलग्न है) में विभाजित किया गया है। इन 13 क्लस्टरों में से 2 क्लस्टर, अर्थात् सोनीपत-पानीपत क्लस्टर और करनाल-कैथल-थानेसर क्लस्टर ने बोर्ड से स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) प्राप्त कर ली है और केवल 1 क्लस्टर, सोनीपत-पानीपत के लिए ने बोर्ड से संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) प्राप्त कर ली है। किसी भी क्लस्टर ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त नहीं किया है। इन सभी स्थानीय निकायों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
